भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1487

15 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

वहनीय किराया आवास परिसर के अंतर्गत स्वीकृत आवास

1487. श्री विनसेंट एच.पाला:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वहनीय किराया आवास परिसर (एआरएचसी) के तहत स्वीकृत मकानों की संख्या मांग-आपूर्ति के असंतुलन को ठीक करने और 'सभी को आवास' के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा तय किए गए किराए की दरों का ब्यौरा क्या है ताकि किराएदारों को शोषण से बचाने के साथ-साथ वहनीयता के मानदंड को पूरा किया जा सके;

(घ) क्या सरकार नए निर्माण के पूरक भाग के रूप में खाली आवासों पर भी कर लगाने पर विचार कर रही है ताकि मकान मालिक अपने खाली मकानों को किराए पर दें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास किफायती किराये का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत एक उप-योजना के रूप में

किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) की शुरुआत की गई थी। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 से सबके लिए आवास के विजन के तहत पीएमएवाई-यू को कार्यान्वित कर रहा है। दिनांक 28.11.2022 तक 1.12 करोड़ आवासों की वैध मांग के मुकाबले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय ने 1.20 करोड़ आवासों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1.06 करोड़ आवास निर्माणाधीन हैं और दिनांक 28.11.2022 तक 64 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है/आवास लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं।

(ग): किरायेदारों के शोषण से बचने के लिए, एआरएचसी के परिचालन दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि एआरएचसी का प्रारंभिक किफायती किराया स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद, किराए में वर्ष में दो बार 8% की वृद्धि की जाएगी जोकि किराया अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक कुल मिलाकर अधिकतम 20% होगी। संपूर्ण रियायत अवधि अर्थात 25 वर्षों के दौरान समान तंत्र का अनुपालन किया जाएगा।

(घ) और (ङ): जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****